# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन, जिला बाड़मेर

क्रमांक/भू.अ./2022/ 741 | दिनांक 05/04/2022

**प्रार्थीगण :-**
1.तुलसाराम पुत्र समेलाराम
2.कमला पत्नि तुलसाराम,
जातियान मेगवाल
निवासी अली की बस्ती
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर।

**विप्रार्थीगण :-**
1.जोधाराम पुत्र रामाराम 2.चेतन पुत्र खीमा
जातियान मेगवाल, निवासी मते का तला
3.चेना पुत्र समरथा, जाति जाट
4.खुदाबक्श पुत्र राणा 5.गफूर पुत्र अली
जातियान तेली, निवासी बूठ राठौड़ान
तहसील चौहटन, जिला बाड़मेर

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111,128 राज.भू.राजस्व अधिनियम**
**वास्ते करने नेखमबंदी बाबत |**

राजस्व आवेदन सं. 24/2019 | दिनांक : **05.04.2022**

## आदेश

तहसीलदार चौहटन को भेजकर लेख है कि उपरोक्त प्रकरण में तहसील चौहटन, पटवार क्षेत्र बूठ राठोड़ान के मौजा अली की बस्ती के खेत खसरा सं. 136 रकबा 14.06 बीघा भूमि के चारों तरफ पक्के नेखम स्थापित करने हेतु आपको कमिशनर नियुक्त किया जाता है| उक्त विवादित भूमी की नेखमबंदी/पेमाईश आप अपने स्तर पर किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश न हो तो दोनों पक्षों के रूबरू मुस्तकिल/स्थाई बिन्दु को आधार मानकर विधिसम्मत तरीके से उपरोक्त भूमी की नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में अवश्य पेश करे|

नेखमबंदी के दौरान विप्रार्थीगण के हितो पर कुठाराघात न हों| आवश्यकता होने पर सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद हेतु अधिकृत किया जाता है | प्रार्थीगण कमिशनर को कमिशनर फीस रुपये 500/- मौके पर अदा करेंगे|

(भागीरथ राम II)
उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

उपखण्ड अधिकारी (SDO) चौहटन

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन

क्रमांक/भू.अ./2022/ 742 to 745 | दिनांक 05/04/2022

प्रतिलिपि :-
1. तहसीलदार चौहटन
2. प्रार्थीगण तुलसाराम वगैरा
3. विप्रार्थीगण जोधाराम वगैरा
4. थानाधिकारी पुलिस थाना चौहटन/बीजराड़/धौरीमन्ना

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhagirath Ram
Date: 2022.06.27 16:57:25 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
चौहटन